

सहायक कलक्टर एवं अधीक्षक अधिकारी कामा जिला भरतपुर  
ब 5 जिला श्री विनेश शर्मा आरक्षण/2013 अधीक्षक अधिकारी कामा  
40/2022

समाप्त 2- रामजीत विसरान सरमन जाति गूर्जर निवासी कलावटा तहसील  
जिला भरतपुर ।

बनाम

प्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जखिये तहसीलदार कामा (भरतपुर) राजस्थान  
परमलाल पुत्र देवला जाति गूर्जर निवासी ग्राम कलावटा तहसील कामा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 एनओआरएक्ट

निर्णय

दिनांक 16/01/2023

प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना अन्तर्गत धारा 138 मुद्राजो अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है। कि आराजी भूमि साविक खसरा नम्बर 709/541 रकवा 0.69 हैक्टर 1492/541 रकवा 0.93 हैक्टर 1493/541 रकवा 0.19 हैक्टर वाके ग्राम कलावटा तहसील कामा में स्थित है । जिसके बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नम्बर 527/0.69, 546/3.73, 644/0.45, 645/0.47 हैक्टर कायम किये गये । साविक खसरा 541/11 बीघा 3 विस्वा वाके ग्राम कलावटा देवला बल्द लक्ष्मण व सरमन बल्द कन्हई राम कौम गूर्जर निवासी कलावटा वाहिस्सा बराबर खातदारी का रकवा था । जिसका बटवारा देवला व सरमन की बीव में हुआ और साविक खसरा नम्बर 541 के दो टुकडा किये गये जिसमें देवला बल्द लक्ष्मण को खसरा नम्बर 710/541 रकवा 6 बीघा 18 विस्वा दिया गया व सरमन को खसरा नम्बर 709/541 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा दिया गया । जिसमें खसरा नम्बर 541 के नये खसरा नम्बर 710/541 व 709/541 कायम कर नक्शा तैयार किया गया । जो देवला के हिस्से में आया । तथा खसरा नम्बर 709/541 को तरफ दक्षिण की ओर दर्शाया गया जो सरमन के हिस्से में आया । जमाबन्दी सं0 2013 में मुताबिक बटवारा नामा के देवला का खाता संख्या 13 कायम हुआ तथा सरमन का खाता संख्या 14 कायम हुआ । जिसमें खसरा नम्बर 709/541 रकवा 4 बीघा 5 विस्वा का इन्द्राज है । सरमन का स्वर्गवास हो गया जिसके वारिस प्रार्थीगण है । व देवला का स्वर्गवास हो गया । उसके वारिस अप्रार्थी संख्या 2 है ।

साविक खसरा नम्बर 710/541 में से 0.19 हैक्टर रकवा सार्वजनिक निर्माण काम में चला गया जो परमलाल पुत्र देवला के खाते में से गया जिसका उल्लेख न क्षेत्रफल में अंकित है । हाल खसरा नम्बर 546 रकवा 0.19 हैक्टर साविक खसरा नम्बर 710/541 में से गया है । हाल खसरा नम्बर 546 में अन्य खसरा नम्बर 709/541 में से गया है । साविक खसरा नम्बर 709/541 रकवा 0.69 हैक्टर भूमि का सम्पूर्ण रकवा है । जिसका बन्दोबस्त विभाग द्वारा नये नक्शा की आराजी भूमि है । जिसका बन्दोबस्त विभाग द्वारा नये

प्राथीगण का बावज है। अप्रार्थी संख्या 2 का साविक खसरा नम्बर 710/541 रकवा 8  
 अर्था 18 हेक्टर है। जिसके नये खसरा नम्बर 546/0.19, 844/0.45, 645/0.47  
 हेक्टर है। जो प्राथीगण की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 527 के उत्तर दिशा में  
 है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बरान (पुराने खसरा नम्बर) 709/541/  
 0.69, 1492/541/0.93, 1493/541/0.19 के नये खसरा नम्बरान कायम करते समय  
 तैयार किये गये नक्शे में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा लीपरवाही पूर्ण तरीके  
 से अप्रार्थी 2 के नये खसरा नम्बर 644, 645 को नये नक्शे में खिलाफ कानून व  
 खिलाफ मौका कब्जा के प्राथीगण के खसरा नम्बर 527 में दक्षिण दिशा में गलत दर्ज  
 कर दिया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 644, 645, 546 के उत्तर में  
 है। जिसका पूर्व में ही सम्वत 2001 में बटवारा के समय फील्ड बुक नम्बरान तरगीम  
 जमाबन्दी चौसाला तैयार करते वक्त तैयार की गई तरगीम से पूर्णतः स्पष्ट है। उक्त  
 गलत इन्दाज की जानकारी नकल दरतावेज लेने पर दिनांक 14.07.2022 को हुई।  
 इससे पूर्व कोई जानकारी नहीं थी। प्राथीगण के खसरा नम्बर में अप्रार्थी संख्या 2 के  
 खसरा नम्बर 527 नये नक्शे में गलत दर्ज होने से प्राथीगण को सख्त हक लताफी हो  
 रही है। विधि वजह प्राथीगण बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये नये नक्शा  
 में अप्रार्थी बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तैयार किये गये नये नक्शा  
 2 के खसरा नम्बर 644, 645 को मौका व कब्जानुसार दुरुस्त करा पाने के अधिकारी  
 है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 709/541/0.69, 1492/541/0.93,  
 1493/541/0.19 के नये खसरा नम्बर बनाते हुये नये नम्बरान को नजरी नक्शा में  
 गलत तैयार किये गये नक्शे के आधार पर जबरदस्ती प्राथीगण की आराजी भूमि में  
 नाजायज कब्जा करने की फिराक में है तथा आराजी मुतनाजा को रीगर जमात रतन  
 वय मुत्तकिल करने की फिराक में है। तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथारिथिति में  
 परिवर्तन कराना चाहता है। जिसकी बाबत अप्रार्थी ने प्राथीगण को दिनांक 18.07.2022  
 को ऐलानिया धमकी बांके ग्राम कलावटा तहसील कामां में दी है। यदि अप्रार्थी अपने  
 धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो प्राथीगण को अपरमित हारि होगी। जिसकी  
 क्षतिपूर्ति जर्ने नकद से कदापि सम्भव ना हो सकेगी। विधि वजह प्राथीगण अप्रार्थी  
 संख्या 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करा पाने के अधिकारी हैं। प्राथीना  
 पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार  
 फेरमाया जाकर बन्दोबस्त विभाग द्वारा तैयार किये गये नये नक्शे को संशोधित किया  
 जावे कि अप्रार्थी संख्या 2 के खसरा नम्बर 644, 645 को प्राथीगण के खसरा नम्बर  
 527 में से संशोधित कर हाल मौका कब्जा व फील्ड बुक नम्बरान तरगीम चौसाला  
 सम्वत 2001 व तितम्मा सजरा किशतवार के अनुसार खसरा नम्बर 644, 645 को  
 प्राथीगण के खसरा नम्बर 527 के उत्तर में स्थापित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब  
 किया गया। बावजूद सूचना अप्रार्थी नं० 2 उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी नं० 1  
 तहसीलदार कामां ने अपने पत्रांक/एल.आर./2022/2863 दिनांक 16.12.2022 द्वारा  
 जबाव पेश किया कि कलावटा के खसरा नम्बर 709/541 रकवा 0.69 हेक्टर 1492  
 /541 रकवा 0.93 एवं 1493/541 रकवा 0.19, हेक्टर है जिसके बन्दोबस्त विभाग के  
 द्वारा 527/0.69, 644/0.45, 645/0.47, 546/3.73 हेक्टर कायम किये गये हैं।  
 तथा साविक खसरा नम्बर 541/0.19 हेक्टर रकवा हाल खसरा नम्बर 546/3.73 में  
 शामिल है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एवं मौका के अनुसार पटवारी हल्का ग...  
 रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :-

उपखण्ड अधिकारी  
 कामां (भरतपुर) राज०



काबिल है । इसी प्रकार 644/045, 645मिठ रकबा 024 हैकर किया ।  
रकबा 060 पर रामजीत व रामगोपाल पिसरान सरमन जाति पुनर विभाग ककबा  
काबिल है । जिसे भौके पर कब्जा अनुसार शुद्ध किया जाता है । परसीवर  
काभा को पालना के लिए पत्र लिखा जाने । प्रकरण फैसल सुनार होकर काबिल  
सामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय पदकर मुताया वम



सरकार पंजाब  
सहायक कलक्टर एवं  
जम्हण्ड अधिकारी  
कासासम रजिस्ट्रार